



Neutral Citation No. 2026:AHC:129337

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20172 वर्ष 2026

संदीप कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

कृष्ण मणि

विपक्षी के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मु.अ.सं. 271 वर्ष 2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 105 बी.एन.एस., थाना- दुद्धी, जिला- सोनभद्र में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 09.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के विरुद्ध उक्त अपराधों का कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त सोनामती को इस न्यायालय की समतुल्य पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 9911 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक का जमानत का मामला बनता है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. आवेदक - **संदीप कुमार**, जो पूर्वोक्त अपराध मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
- (i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका वह आरोपी है, या जिसके होने का संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।
 - (iv) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। बिना किसी पर्याप्त कारण के उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी (तदनुरूपी धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।
 - (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (तदनुरूपी धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार, धारा 174-ए आईपीसी (तदनुरूपी धारा 209 बीएनएस) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।
 - (vi) आवेदक (1) मामले के खुलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी (तदनुरूपी धारा 351 बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करना खुला होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

24 जून, 2026

(देवेन्द्र सिंह-प्रथम, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।